मो0सोहैल,भा0प्र0से0,जिलाधिकारी मधेपुरा द्वारा दिनांक 13.03.2016 को खरीफ विपणन मौसम वर्ष–2015–16 के अन्तर्गत धान/चावल की अधिप्राप्ति से संबंधित जिला टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया एवं आयोजित बैठक के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

जिलाधिकारी द्वारा मिलिंग व्यवस्था के संबंध में निदेश दिया गया कि पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम द्वारा चयनित एव एकरारनामित मिल से मिलिंग क्षमता के अनुरूप गारंटी के रूप में अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त करेगे एवं प्राप्त अग्रिम सी0एम0आर0 के समतुल्य अधिप्राप्ति धान एकरारनामित मिलों को उपलब्ध कराया जायेगा। पुनः धान के समानुपातिक सी0एम0आर0 प्राप्त करने के पश्चात धान की आपूर्ति करने का चक्रीय व्यवस्थान्तर्गत क्रम जारी रखा जायेगा ताकि किसी भी परिस्थिति मे अग्रिम मिलरों के पास न रहे एवं पूर्ववर्ती समय में समस्या उत्पन्न न हो।

जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि खरीफ विपणन मौसम,2015–16 के अन्तर्गत जिला के निर्धारित लक्ष्य 3500 मे0टन के विरूद्ध विभिन्न पैक्स/व्यापार मंडलों के द्वारा मात्र 13500 मे0 टन धान की अधिप्राप्ति किसानों से की गई है। अधिप्राप्ति की गई उक्त धान के विरूद्ध 9057 मे0 टन सी0एम0आर0 प्राप्त किया जाना था, जिसके विरूद्ध मात्र 1650 मे0टन सी0एम0आर प्राप्त किया गया है, जो कि अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति है।

इस संबंध में बैठक में उपस्थिति प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपरा से प्रखंडवार समीक्षोंपरांत ज्ञात हुआ कि सभी प्रखंडों में लक्ष्य के विरूद्ध धान की अधिप्राप्ति में शिथिलता बरती गई है तथा किसानों से धान अधिप्राप्ति यदि हुई भी है तो किसानों को भुगतान 25 प्रतिशत सी0सी0 लिमिट के तहत् किया जाना है। जिसका अनुपालन नही किया गया है।

जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपरा को निदेश दिया गया कि किसानों से अधिप्राप्ति किये गये धान के विरूद्ध किसानों के भुगतान में जिन प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा शिथिलता बरती गई है, उनसे स्पष्टीकरण किया जाय। साथ ही निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत धान की अधिप्राप्ति कार्रवाई में तेजी लाया जाय तथा जिन पैक्सों के द्वारा धान खरीदने मं कोताही बरती गई है उनके विरूद्ध प्रस्ताव सरकार में भेजा जाय। इसी क्रम में प्रखंड मुरलीगंज में सबसे कम धान की अधिप्राप्ति होने के निमित्त प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, मुरलीगंज से स्पष्टीकरण पुछने तथा उनके विरुद्ध कार्ववाई करने का निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी मधेपुरा को दिया गया।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वे सी0एम0आर0 केन्द्र मधेपुरा/आलमनगर को तुरंत क्रियाशील करें तथा सी0एम0आर0केन्द्र पर कर्मी की व्यवस्था सुनिश्चित करे। कर्मी की व्यवस्था ऐसी की जाये जिसमें एक केन्द्र पर सी0एम0आर0 केन्द्र प्रभारी तथा गुणवत्ता नियंत्रक एक साथ हो। उनका समय/दिवस विधिवत रुप से तय कर दिया जाय तथा इसकी सूचना जिला आपूर्ति कार्यालय को भी दी जाय।

(अनुपालनः– / जिला सहकारिता पदाधिकारी/ जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम)

कंडिकाः–(2) किसानों का डाटावेस की तैयारीः–

बैठक में पैक्स के किसानों का डाटावेस तैयार करने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी से पृच्छा किये जाने पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि पैक्स के द्वारा तैयार डाटावेस तथा कृषि विभाग के द्वारा तैयार डाटावेस जिस पर एस0एफ0सी0 पटना से निबंधन सख्या दिया गया है, उसे जिला के वेवसाईट पर प्रदर्शित किया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि कोई किसान धान अधिप्राप्ति केन्द्र पर धान लेकर आता है और उनका Online Regestration नही हुआ हो तो आवेदन एव पहचान पत्र प्राप्त कर धान का क्रय किया जा सकता है एवं उनका तत्काल ही Online Regestration भी कर दिया जाय।

(अनुपालनः– जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा)

कंडिकाः-03 मिल से संबंधित कार्य निदेशः-

बैठक में जिला प्रबधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कुल 27 (छब्बीस) मिलों का भौतिक सत्यापन किया गया है। जिसमें से 23 मिल मिलिंग कार्य के लिए उपयुक्त पाया गया। सर्वसम्मति से पैक्स मिल की टैगिंग उनके कार्यरत प्रखण्डों के साथ की गई, जो निम्न प्रकार हैः-

क्र0	मिल का नाम	सम्बद्व पैक्स का नाम	प्रखंड का नाम
1	2	3	
1	मन्नु राईस मिल, मधेपुरा	मदनपुर, महेशुआ, भेलवा, मठाही, साहुगढ़-01, साहुगढ़- 02, तुलसीवाड़ी राजपुर मलिया	मधेपुरा
2	बालम गढ़िया पैक्स राईस मिल, मधेपुरा	बालमगढ़िया,भदौल बुधमा	,,
3	सुखासन राईस मिल, मधेपुरा	सुखासन, खौपेती तनुयाही,बाराही,मधुबन,धुरगाँव	,,
4	विजय राईस मिल, मधेपुरा	मनिकपुर,मुरहो,व्यापार मंडल मधेपुरा	,,
5	महाँशक्ति राईस मिल, सिहेश्वर	मानपुर, कमरगामा, दुलार पिपराही,	सिंहेश्वर
6	रूपौली पैक्स राइस मिल, सिहेश्वर	रूपौली,ईटहरी,गहुमनी,जजहट सबैला,व्यापार मंडल	,,
7	सुखासन राईस मिल, सिहेश्वर	सुखासन,गौरीपुर, सिंहेश्वर,लालपुर,सरोपट्टी,पटोरी,भवानीपुर	,,
8	कांगो राईस मिल, गम्हरिया	इटवा जीवछपुर, भेलवा,गम्हरिया, बभनी,कौड़ीहार,तरावे	गम्हरिया
9	चिकनी पैक्स राईस मिल,गम्हरिया	औराही,एकपराहा,चिकनी,व्यापार मंडल	,,
10	सिंह राईस मिल, सिहेश्वर	शंकरपुर प्रखंड के सभी पैक्स/व्यापार मंडल	शंकरपुर
11	जय बाबा बासुकीनाथ राईस मिल, मुरलीगंज	मुरलीगंज प्रखंड के सभी पैक्स/व्यापार मंडल	मुरलीगंज
12	नरसिंह राईस मिल, बिहारीगंज	कुमारखण्ड प्रखंड के सभी पैक्स/व्यापार मंडल	कुमारखंड
13	दिव्य प्रकाश राईस मिल, उदाकिशुनगंज	पहले से एकरारनामित पैक्स को छोड़कर,(उदाकिशुनगंज के पैक्स/व्यापार मंडल)	उदाकिशुनगंज
14	लक्ष्मी राईस मिल, ग्वालपाड़ा	ग्वालपाड़ा प्रखंड के पैक्स/व्यापार मंडल पहले से एकरारनामित पैक्स को छोड़कर	ग्वालपाड़ा
15	राजेश टेर्डिंग कंपनी राईस मिल, बिहारीगंज	बिहारीगंज के सभी पैक्स/व्यापार मंडल	बिहारीगंज
16	सूरज राईस मिल, पुरैनी	पुरैनी/चौसा के सभी पैक्स/व्यापार मंडल	पुरैनी/चौसा
18	स्वाती राईस मिल, बिहारीगंज	आलमनगर के सभी पैक्स/व्यापार मंडल	आलमनगर
19	जय हनुमान राईस मिल, सिहेश्वर	घैलाढ़ के सभी पैक्स/व्यापार मंडल	घैलाढ़
20	गोबिन्द राईस मिल, उदाकिशुनगंज	उदाकिशुनगंज/ग्वालपाड़ा के पैक्स	उदाकिशुनगंज/ग्वालपाड़ा
21	जयगुरु राईस मिल,बिहारीगंज	विहारीगंज प्रखंड के पैक्स/व्यापार मंडल(एकरारनामित मिलों को छोड़कर)	बिहारीगंज
22	माँ गीता राईस मिल, सिंहेश्वर	सिंहेश्वर के पैक्स/व्यापार मंडल (एकरारनामित मिल को छोड़कर)	सिंहेश्वर
23	बाबा गणीनाथ राईस मिल, मधेपुरा	मधेपुरा के पैक्स/व्यापार मंडल (एकरारनामित मिल को छोड़कर)	मधेपुरा

- जाँच के क्रम में (1) देवराहा राईस मिल, ग्वालपाड़ा (2) सियाराम ट्रेडर्स, शंकरपुर के बारे में ज्ञात हुआ कि वे प्रमादी मिलर के संबंधी है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वे इसकी विविवत् जाँच कर प्रतिवेदन अगली टास्क फोर्स की बैठक में रखें।
- भवानीपुर पैक्स अध्यक्ष प्रखंड सिंहेश्वर द्वारा नजदीक के राईस मिल से पैक्स को टैग करने का आवेदन दिया गया, जिसे समीक्षोपरांत जिला टास्क फोर्स की बैठक में सर्वसम्मति से सुखासन पैक्स राईस मिल के साथ टैग किया गया।

<u>मिल मालिक/पैक्स को दी जानेवाली निदेशः-</u>

- मिल मालिक तथा पैक्स एक सप्ताह के अन्दर धान कुटाई/चावल देने के संबंध में एकरारनाम करेगें। शतप्रतिशत एकरारनामाा कराने की जिम्मेवारी जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा की होगी।
- एकरारनामा का विहित प्रपत्र (Format) जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा सभी मिल मालिक को उपलब्ध करायेगें तथा इसकी एक प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी को भी उपलब्ध करायेगें, जो सभी पैक्स को देगें।
- सभी मिल मालिक,पैक्स को निर्धारित धान खरीदने के लक्ष्य से अधिक धान प्राप्त नही करेगें।
- लक्ष्य की सूची सभी मिल मालिक को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी जिला प्रबधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा की होगी।
- पैक्स के लक्ष्य से अधिक धान प्राप्ति की स्थिति में अपेक्षित भुगतान पैक्स को निर्धारित धान लक्ष्य की सीमा के अन्दर होगा।
- मिल मालिक पैक्स से धान प्राप्ति की सूचना अविलंब स्थानीय अंचल अधिकारी/प्र0सहकारिता पदाधिकारी को देगें तथा इसकी एक प्रति अनुमंडल पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम,/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी देगें।
- धान प्राप्ति के बाद धान की कुटाई दो दिनों के अंदर पूरी की जायेगी तथा उत्पादित सी0एम0आर0 की सूचना सभी मिल अविलंब अंचल अधिकारी/प्र0सहकारिता पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम,/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी देगें।
- सी0एम0आर0 की गुणवत्ता की जॉच करते हुए अविलंब सी0एम0आर0 गोदाम पहुँचाने की व्यवस्था जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/जिला सहकारिता पदाधिकारी सुनिश्चित करेगें।
- सी0एम0आर0 गोदाम में प्रत्येक दिन का स्टॉक की स्थिति से DM Sfc के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकार तथा वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) को अवगत कराया जायेगा।
- सभी मिलर को निदेशित किया गया कि धान की कुटाई के बाद उत्पादित सी0एम0आर0 के उठाव में हुए विलंब की सूचना अविलंब स्थानीय अंचल अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी के संक्षान में लावें तथा इसकी सूचना जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम,/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी देगें।
- अधिप्राप्ति से संबंधित आदेश/प्रतिवेदन जिला के वेवसाईट पर उपलब्ध है, जिसे डॉउनलोड कर देखा जा सकता है।
- <u>कंडिकाः-04- सी0एम0आर0 हेतु नये बोरे की व्यवस्थाः-</u>
- जिलाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि जिन पैक्स को संबंधित मिल के साथ एकरानामा किया गया है, उन्हें पुनः एकरारनामा की आवश्यकता नही है। वे पूर्व से किये गये एकरारनामा के अनुसार धान सबंधित मिलरों को उपलब्ध करायेगें।
- जिन पैक्स ने अभी तक किसी मिलर से धान कुटाई को एकरारनामा नही किया है, मिलर/प्रखंड की टैगिंग के अनुसार पैक्स एकरारनामा करेगें।
- एक पैक्स व्यापार मंडल केवल एक मिल से एकरारनाभा करेगें। जिला **सहकारिता पदा0/जिला प्रबंधक, रा0 खा0 नि0** मधेपुरा इसे सुनिश्चित करेगें।
- जिन पैक्सों ने पहले **की तिथि में चयनित मिल से एकरारनामा पूर्व मे जिला टास्क** फोर्स में निर्धारित **संबंधित** मिल से कर लिया **है उसे पुनः एकरारनामा कराने की जरूरत नहीं है।**